Computer Proficiency Certification Test

Notations :

1.Options shown in green color and with ✔ icon are correct.

2.Options shown in red color and with ✖ icon are incorrect.

Question Paper Name:	REMINGTON GAIL 5th Aug 2018 Shift1
Subject Name:	Remington GAIL
Creation Date:	2018-08-05 13:29:15
Duration:	30
Show Result On Console:	No
Actual Answer Key:	Yes
Calculator:	None
Magnifying Glass Required?:	No
Ruler Required?:	No
Eraser Required?:	No
Scratch Pad Required?:	No
Rough Sketch/Notepad Required?:	No
Protractor Required?:	No

Mock

Group Number :	1
Group Id :	93249420
Group Maximum Duration :	10
Group Minimum Duration :	10
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	1
Mandatory Break time:	Yes
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249432
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249432
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 1 Question Id : 932494245 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

बहुत समय पहले की बात है हिमालय के जंगलो में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था एक दिन उसने बारासिंघे का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान करने लगा।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes

Actual

Group Number :	2
Group Id :	93249421
Group Maximum Duration :	20
Group Minimum Duration :	20
Revisit allowed for view? :	No
Revisit allowed for edit? :	No
Break time:	0
Group Marks:	0

Hindi Typing Test

Section Id :	93249433
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional:	Mandatory
Number of Questions:	1
Number of Questions to be attempted:	1
Section Marks:	0
Display Number Panel:	Yes
Group All Questions:	No

Sub-Section Number:	1
Sub-Section Id:	93249433
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 2 Question Id : 932494246 Question Type : TYPING TEST Display Question Number : Yes

सिंधु जल संधि को भारत-पाकिस्तान के बीच जल विवाद पर हुई एक सफल अंतरराष्ट्रीय का उदाहरण बताया जाता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनो देशों के बीच दो युद्धों और एक सीमित कारगिल युद्ध और हजारों टकरावों के बावजूद यह संधि कायम है। इस समझौते से पहले 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर मिले और उन्होंने पाकिस्तान की और आने वाली दो प्रमुख नहरों पर एक स्टैंडस्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहेगा। यग समझौता 31 मार्च 1948 तक लागू था। 1 अप्रैल 1948 को जब इस समझौते की अवधि समाप्त हो गयी तो भारत दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड जमीन पर हालात खराब हो गयी थी। हालांकि बाद में हुए समझौते के परिणामस्वरूप भारत पानी की आपूर्ति जारी रखने पर राजी हो गया। 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू ने टेनसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत बुलाया। लिलियंथल पाकिस्तान भी गए और वापस अमरीका लौटकर उन्होंने सिंधु नदी के बंटवारे पर एक लेख लिखा। यह लेख विश्व बैंक प्रमुख और लिलियंथल के दोस्त डेविड ब्लैक ने भी पढा और ब्लैक ने भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया और फिर शुरू हुआ दोनों पक्षों के बीच बैठकों का सिलसिला। यह बैठकें लगभग एक दशक तक चलीं और आखिरकार 19 सितंबर 960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। सिंधु जल समझौते के अनुसार सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। समझौते के अनुसार पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोडकर, भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के तहत इन नदियों के पानी का कुछ क्षेत्रों में सीमित इस्तेमाल के लिए अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। अनुबंध में बैठक, साइट इंस्पेक्शन आदि का प्रावधान भी है। समझौते के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इसमें दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। यह कमिश्नर प्रत्येक कुछ समय के अंतराल पर एक दूसरे से मिलते हैं और होने वाली किसी भी समस्या पर बातचीत करते हैं। यदि कोई देश किसी भी परियोजना पर काम करता है और दूसरे देश को उसके डिजाइन पर आपत्ति है तो पहले देश को उस पर जवाब देना होगा, दोनो पक्षों की बैठकें भी होंगी। यदि आयोग समस्या का हल नहीं ढूंढ पाती हैं तो सरकारें उसे सुलझाने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा समझौते में विवादों का हल ढूंढने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेगी।

Restricted/ Unrestricted: Unrestricted
Paragraph Display: Yes
Evaluation Mode: Non Standard
Keyboard Layout: Remington
Show Details Panel: Yes
Show Error Count: Yes
Highlight Correct or Incorrect Words: Yes
Allow Back Space: Yes
Show Back Space Count: Yes